रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 1992/माघ 29, 1913
No. 76] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 1992/MAGHA 29, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 18 फरवरी, 1992

सा.का.नि. 107(अ).—जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के परामर्श से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन नियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 में अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची—3

(नियम 24 देखें)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च, 19 तक की वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय—1 प्रस्तावना

अध्याय—2 बोर्ड का गठन और उसमें परिवर्तन

अध्याय—3 बोर्ड की बैठकें और उसमें लिये गये मुख्य निर्णय

अध्याय—4 बोर्ड द्वारा गठित समितियां और उनकी गतिविधियां

अध्याय—5 वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता के लिए निगरानी नेटवर्क

अध्याय—6 पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याओं और शोधक उपायों की वर्तमान स्थिति

अध्याय—7 पर्यावरणीय अनुसंधान

अध्याय–8 पर्यावरणीय प्रशिक्षण

अध्याय–9 पर्यावरणीय जागरूकता और जन भागीदारी

अध्याय–10 पर्यावरणीय मानक और उनके प्रवर्तन के लिए समय-सूची

अध्याय–11.1 पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए गए मुकदमे और दोष सिद्धियां

11.2 प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के लिए दिये गये निदेश

अध्याय–12 बोर्ड के वित्त और लेखे

अध्याय–13 आगामी वर्ष की वार्षिक योजना

अध्याय–14 केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निपटाया जा रहा कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला

अनुबन्ध

1. बोर्ड के सदस्य
2. संगठन चार्ट
3. भरती सहित कर्मचारियों की संख्या
4. प्रकाशन
5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं जिनका आयोजन किया गया अथवा जिनमें भाग लिया गया।
6. उद्योग संचालन एवं प्रक्रिया की स्थापना हेतु जारी/नामंजूर सहमतियां
7. उद्योग संचालन एवं प्रक्रिया के संचालन हेतु जारी/नामंजूर सहमतियां ।

[फा.सं. जैड-20013/4/91-सी.पी.डब्ल्यू.]

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियमों को 27 फरवरी 1975 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया—

1. सा.का.नि 1260(ई) दिनांक 17-10-1976
2. सा.का.नि. 717(ई) दिनांक 27-07-1989

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 1992

G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, namely:—

1.(1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, for Schedule III, the following schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-III

(See rule 34)

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOAWRD ANNUAL REPORT FROM THE FINANCIAL YEAR

APRIL 1, 19.. TO MARCH 31, 19..

CHAPTER-1. Introduction

CHAPTER-2. Constitution of the Board including changes therein:

CHAPTER-3. Meeting of the Board with major decisions taken therein.

CHAPTER-4. Committees constituted by the Board and their activities.

CHAPTER-5. Monitoring Network for air, water and soil quality.

CHAPTER-6. Present state of environment environmental problems and counter-measures.

CHAPTER-7. Environmental Research.

CHAPTER-8. Environmental Training.

CHAPTER-9. Environmental Awareness and Public Participation.

CHAPTER-10. Environmental Standards including time schedule for their enforcement.

CHAPTER-11.1. Prosecutions launched and convictions secured for environmental pollution control.

CHAPTER-11.2 Directions given for closure of polluting industrial units.

CHAPTER-12. Finance and accounts of the Board.

CHAPTER-13. Annual Plan of the following year.

CHAPTER-14. Any other important matter dealt with by the Central Board.

ANNEXURES

1. Members of the Board
2. Organisation Chart
3. Staff Strength including recruitment.
4. Publications

IndiaCode

5. Training Courses/Seminars/Workshops organised or attended.

6. Consents to establish industries, operations & processes—issued/refused.

7. Consents to operate industries operations & processes — issued/refused

[No. Z-20013/4/91-C.P.W.]

MUKUL SANWAL, It. Secy.

FOOT NOTE : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 58(E) dated the 27th February, 1975 and subsequently vide—

(1) G.S.R. 1260(E) dated the 17th August, 1976

(2) G.S.R. 717(E) dated the 27th July, 1989.

सा.का.नि. 108(अ).—वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1982 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन नियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1982 में अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची-3

(नियम 16 देखें)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 19.. से 31 मार्च, 19.. तक की वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय—1 : प्रस्तावना

अध्याय—2 : बोर्ड का गठन और उसमें परिवर्तन

अध्याय—3 : बोर्ड की बैठक और उसमें लिये गये मुख्य निर्णय

अध्याय—4 : बोर्ड द्वारा गठित समितियां और उनकी गतिविधियां

अध्याय—5 : वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता के लिए निगरानी नेटवर्क

अध्याय—6 : पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याओं और शोधक उपायों की वर्तमान स्थिति

अध्याय—7 : पर्यावरणीय अनुसंधान

अध्याय—8 : पर्यावरणीय प्रशिक्षण

अध्याय—9 : पर्यावरणीय जागरूकता और जन-भागीदारी

अध्याय—10 : पर्यावरणीय मानक और उनके प्रवर्तन के लिए समय-सूची

अध्याय—11.1 पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए गए मुकदमे और दोषसिद्धियां

11.2 प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए दिये गये निदेश

अध्याय—12 : बोर्ड के वित्त और लेखे

अध्याय—13 : आगामी वर्ष की वार्षिक योजना

अध्याय—14 : केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निपटाया जा रहा कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला

अनुबन्ध

1. बोर्ड के सदस्य
2. संगठन चार्ट
3. भारतीय सहित कर्मचारियों की संख्या
4. प्रकाशन
5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं जिनका आयोजन किया गया अथवा जिनमें भाग लिया गया।
6. उद्योग, संचालन एवं प्रक्रिया की स्थापना हेतु जारी/नामंजूर सहमतियां
7. उद्योग, संचालन एवं प्रक्रिया के संचालन हेतु जारी नामंजूर सहमतियां

[फा.स.जेड-20013/4/91-सी.पी.डब्ल्यू]

पाद टिप्पणी : मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

मूल नियमों को 18 नवम्बर, 1982 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया

1. सा.का.नि. 6(ई) दिनांक 21-12-1983
2. सा.का.नि. 350(ई) दिनांक 09-03-1989
3. सा.का.नि. 741(ई) दिनांक 07-08-1989

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules

IndiaCode